20 COURT FEE 20
बीस रुपए
TWENTY RUPEES

5 COURT FEE Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

5 COURT FEE Rs 5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES विलोपित

(103)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 R ......11/16 निगरानी निग 2933-II-16

श्री ...... अभिभाषक
द्वारा आज दि. 31/8/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1–विसम्भर सिंह पुत्र रामसिंह जाति क्षत्रिय निवासी लालपुर उमरिया तह0 बॉधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 .

2–श्रीमती अनुराधा गुप्ता पत्नी विकाश गुप्ता निवासी हर्रवाह तह0 चॉदिया जिला उमरिया म0प्र0

..........................आवेदक

बनाम

1–महन्त कुमार सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति निवासी लालपुर उमरिया तह0 बॉधवगढ जिला उमरिया म0प्र0

2–म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला उमरिया म0प्र0

......................असल/अनावेदक

3–बब्बूसिंह पुत्र अनूपसिंह निवासी ग्राम लालपुर उमरिया तह0 बॉधवगढ जिला उमरिया म0प्र0

.................तरतीवी/अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 28/07/2016
न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय शहडोल संभाग
शहडोल म0प्र0 के प्र0क0 273/13–14 अपील/निगरानी
अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम लालपुर उमरिया तह0 बॉधवगढ जिला उमरिया म0प्र0 में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 228/1 का आवेदक , अनावेदक के साथ शिवराम, सुखबदन, विशम्बर, दलप्रताप, महन्त कुमार, गजराजसिंह, बब्बूसिंह संयुक्त रूप से भूमि स्वामी होकर आधिपत्य धारी थे।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2933–दो / 2016 जिला–उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
3.10.16	यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 273/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 28–07–2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है. 2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है तहसील बाघवगढ के समक्ष एक आवेदन पत्र अक्श में तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसें स्वीकार किये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 1582–तीन/2013 प्रस्तत की गयी जो दिनांक 14–5–2013 को इस निर्देश के साथ निरस्त की गयी की अनावेदक सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करे. जिस पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो दिनों 26–2–2014 को स्वीकार की गयी. आवेदक द्वारा अनुविभगागीय अधिकारी कें आदेश के विरूद्ध कलेक्टर उमरिया के समक्ष गिनानी प्रस्तुत की गयी जो इस आधार पर निरस्त की गयी कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम आदेश है अतः अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील होगी निगरानी नही. आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जो विवादित आदेश द्वारा समयावधि बाहय होना मानकर निरस्त की गयी है. अपर आुक्त के उपरोक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है. 3. आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकीर के आदेश के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अभिभाषक महोदय को अधिकृत किया था तथा उनकी सलाह के अनुसार ही उनके द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी. आवेदक को जिस प्रकार की सलाह दी गयी थी उसके अनुसार ही उसके द्वारा कार्यवाही की गयी थी. उसके द्वारा जानबूझकर अपील प्रस्तुत करने में अपनी और से कोई विलम्ब नही किया था. आवेदक द्वारा उनके समक्ष जो तर्क	वि

एवं परिस्थितियॉं प्रस्तुत कि गयी थी उन पर विचार न करते हूए अत्यन्त कठोर रूख अपनाते हूए विलम्ब को आधार बनाते हूए अपील को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गयी है जिससे आवेदक न्याय पाने से ही वंचित हो गया है.

4. आवेदक द्वारा प्रस्तत तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया अवलोकन करने से यह तथ्य मेरे समक्ष स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के उपरान्त कलेक्टर के समक्ष सलाह के अनुसार निगरानी प्रस्तुत की गयी जिसके उपरान्त कलेक्टर के आदेश के उपरान्त आवेदक द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वरा पारित आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तत की गयी. उपरोक्त से यह प्रमाणित है कि अपर आयुक्त द्वारा उक्त परिस्थितियों को विचार अपने आदेश में नही किया है. जहॉ विलम्ब गलत सलाह के आधार पर गलत न्यायालय में कार्यवाही करने के कारण हो तब ऐसी स्थिति में न्यायालय को लचिला रूख अपनाते हूए कार्यवाही करते हूए विलम्ब को माफ करना चाहिये तथा प्रकरण का गुणदोषो पर निराकरण करना चाहिये जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 रेवेन्यू निर्णय 366 में प्रतिपादित किया गया है. जहॉ विलम्ब समुचित रूप से स्पष्टीकृत हो तब विलम्ब को माफ किया जाना चाहिये जैसा कि मत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2014 रेवेन्यू निर्णय 393 में प्रतिपादित किया गया है. 2010 रेवेन्यू निर्णय 225 में राजस्व मण्डल द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायदृष्टान्तों को उल्लिखित करते हूए विधि स्थापित की गयी है कि सारवान न्याय के हित में बिना किसी आवेदन पत्र के भी विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश तकनीकी आधार पर होने से स्थिर रखे जाने योग्य होना नही पाता हूँ, अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है तथा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को प्रस्तुत करने मे हुआ विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपील का गुणदोषों पर यथाशीघ्र निराकरण करे. तदनुसार यह प्रकरण निराकृत किया जता है. प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो.

सदस्य